मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 जुलाई 2013-आषाढ़ 21, शके 1935

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

CHANGE OF SURNAME

I have to declare that change of my Surname from Kalpana Toriya (Old) to Kalpana Chandel (Changed). Hence now onwards, I will be knows and called as Kalpana Chandel.

Old Name :

(KALPANA TORIYA)

New Name :

(KALPANA CHANDEL)
45-A, Dhanwantri Nagar Ext.,
P. O. Rajendra Nagar, Indore.

(188-B.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पहले मेरा नाम कु. ममता दुबे था, जो शादी के बाद बदलकर मेरा नाम श्रीमति हर्षिता विश्वकर्मा हो गया है. अत: अब मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाए.

पुराना नाम :

(ममता दुबे)
पुत्री श्री राजू दुबे,
टी-1, मोहीनी अपार्टमेंट,
149-सी, इंद्रपुरी, भोपाल (म. प्र.)

नया नाम :

(हर्षिता विश्वकर्मा)
पत्नि श्री हरीश विश्वकर्मा,
2, बेला होम्स रिशीपुरम फेस-I,
बरखेड़ा पठानी, भोपाल (म. प्र.).

(189-बी.)

नाम परिवर्तन

सूचित किया जाता है मैं, कपिल कुमार गुप्ता ने अपना नाम बदलकर कपिल कुमार केशरवानी रख लिया है. यह दोनों नाम मुझ एक ही व्यक्ति के हैं. भविष्य में मुझे समस्त सरकारी अथवा गैर सरकारी अभिलेखों में इसी नाम से पढ़ा, लिखा एवं जाना जावे.

पुराना नाम :

(कपिल कुमार गुप्ता)

नया नाम :

(कपिल कुमार केशरवानी)
26, भीतर बाजार, संकटमोचन मंदिर गली,
सागर (म. प्र.).

(190-बी.)

CHANGE OF NAME

Be it known to all concerned that the name of the undersigned has been by an advertising Maharashtra Scooters Share certificates printed as "SHIV RATAN PRASAD TIWARI". However the correct name is "SHIV RATAN PRAKASH TIWARI". The undersigned has forwarded necessary affidavit and application to carry out correction in the share certificate and other relevant records and documents. All concerned may note the correction as stated above and proceed accordingly.

Old Name :
(SHIV RATAN PRASAD TIWARI)

New Name :
(SHIV RATAN PRAKASH TIWARI)
S/o Late Onkar Prasad Tiwari,
392/2, Napier Town,
Near Navin Vidya Bhawan School,
Jabalpur (M.P.).

(191-B.)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मुझे SYED JALAL MIYAN (सैय्यद जलाल मियां) के नाम से जाना जाता था. अब मुझे वर्तमान में SYED JALAL (सैय्यद जलाल) के नाम से जाना एवं पहचाना जाये.

पुराना नाम :
(सैय्यद जलाल मियां)
(SYED JALAL MIYAN)

नया नाम :
(सैय्यद जलाल)
(SYED JALAL)
म. नं. 10, गली फिरोज खेलोन,
बुधवारा, भोपाल (म. प्र.).

(192-बी.)

नाम परिवर्तन

मेरा पुत्र छोटू शर्मा पुत्र श्री रामबाबू उपाध्याय, निवासी—जोहा की हबेली हाल—मुरैना रोड, चुंगी नाका के पास, अम्बाह नवोदय विद्यालय, जौरा में कक्षा 8 में पढ़ता है. मेरे पुत्र का छोटू नाम घर का है उसका सही नाम दिवाकर उपाध्याय (उर्फ छोटू) है. उसे सामाजिक कार्य-व्यवहार में भी दिवाकर कहकर बुलाया जाता है.

अतः छोटू को सभी लोग दिवाकर उपाध्याय के रूप में ही बुलावें, जाने और लिखित प्रयोग में लाएं.

रामबाबू उपाध्याय,
(पिता).

(193-बी.)

CHANGE OF NAME

I am known as Simran Sainani, shall henceforth be known as Simran Senani vide affidavit.

Old Name :
(SIMRAN SAINANI)

New Name :
(SIMRAN SENANI)
Karmbhoomi Industrial Area,
Kolgawan, Satna (M.P.).

(199-B.)

CHANGE OF NAME

I am known as Sidhya Sainani, shall henceforth be known as Sidhya Senani vide affidavit.

Old Name :
(SIDHYA SAINANI)

New Name :
(SIDHYA SENANI)
Karmbhoomi Near Industrial Area,
Kolgawan, Satna (M.P.).

(198-B.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि मेसर्स श्रीनाथ जी ऑटो सेन्टर, खलघाट जो कि इण्डियन पार्टनरशीप एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत होकर इसका पंजीयन क्रमांक 03/28/01/00002/05 के द्वारा भागीदारी फर्म के रूप में पंजीकृत होकर इस फर्म में 1. श्री राधाकृष्ण भण्डारी पिता श्री गोकुलदासजी भण्डारी, निवासी—ए. बी. रोड़, खलघाट, जिला धार, 2. श्री नरसिंग भण्डारी पिता श्री राधाकृष्णजी भण्डारी, निवासी—ए. बी. रोड, खलघाट, जिला धार भागीदार थे. इस भागीदारी फर्म का विघटन (समापन) दिनांक 31 मार्च, 2013 को किया जा चुका होकर यह फर्म वर्तमान में मेसर्स श्रीनाथ जी ऑटो सेन्टर, खलघाट (प्रोप्राईटरशीप फर्म) में परिवर्तित हो गई होकर श्री नरसिंग भण्डारी इस फर्म के प्रोप्राईटर हो गये हैं तथा इस फर्म की समस्त लेनदारी-देनदारी पूंजी व सम्पत्ति श्री नरसिंग भण्डारी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की हो गई.

प्रवीण वाणी,
(एडव्होकेट),
15/1, मोती तबेला कलेक्टोरेट मेनरोड,
हाथीखाना मस्जिद के सामने,
रजिस्ट्रार कार्यालय के पास, इन्दौर (म. प्र.).

(194-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता मै० गुरू कृपा बिल्डर्स एण्ड डव्लपर्स में पार्टनर हैं तथा श्री तारा चन्द गर्ग पुत्र श्री करोरी लाल गर्ग भी उक्त फर्म में 15 प्रतिशत के पार्टनर हैं. श्री तारा चंद गर्ग दिनांक 12 जून, 2013 को फर्म से रिटायर हो गये हैं, जिनका 15 प्रतिशत का सम्पूर्ण हिस्सा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता के द्वारा खरीदा गया है. अत: दिनांक 12 जून, 2013 के बाद श्री तारा चन्द्र गर्ग का फर्म की सम्पत्ति एवं दायित्वों से कोई लेना-देना नहीं है. उक्त संबंध में समस्त आमखास को सूचित किया जाता है कि उक्त विषय में कोई भी व्यक्ति, संस्था, निकाय, बैंक अथवा अन्य कोई भी किसी प्रकार का हित रखता है तो इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 7 दिवस के अंदर मुझ सूचनादाता को मय सुसंगत दस्तावेजों के अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा समय अवधि समाप्त होने के पश्चात् मेरे पक्षकार का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा आपत्ति प्रभावहीन मानी जावेगी.

राकेश राजौरिया,
द्वारा अभिभाषक,
विजय नगर, आम खो, कम्पू,
लश्कर, ग्वालियर (म. प्र.).

(195-बी.)

आम सूचना

मेरे पक्षकारान की फर्म मै० बालाजी इन्डस्ट्रीज, पुरानी छावनी थाने के पीछे, इन्डस्ट्रीज एरिया, ग्वालियर में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 02/42/01/00039/07, दिनांक 20 अगस्त, 2007 है. जिसमें पाँच भागीदार बराबर के हिस्सेदार थे जिनका नाम क्रमश. (1) अशोक शिवहरे पुत्र स्व. श्री बी. एल. शिवहरे., (2) श्रीमती कमलेश शिवहरे पत्नी श्री अशोक शिवहरे, निवासीगण पिछाड़ी डियोढ़ी, ग्वालियर (म. प्र.) (3) श्री रघुवीर रॉय पुत्र श्री गिरधारीलाल रॉय, निवासी—पी.एच.ई. कॉलोनी, मोतीझील, ग्वालियर (4) श्री अशोक गुप्ता पुत्र स्व. श्री शिवलालदयाल जी गुप्ता, निवासी—फालका बाजार, ग्वालियर (5) श्रीमती अनिता रॉय पत्नी श्री संजय रॉय, निवासी—1357, रचना नगर, ग्वालियर. दिनांक 26 फरवरी, 2013 को तीन भागीदार रघुवीर रॉय पुत्र गिरधारीलाल, अशोक गुप्ता पुत्र स्व. श्री शिवलालदयाल गुप्ता एवं श्रीमती अनिता रॉय पत्नी श्री संजय रॉय ने अपने व्यक्तिगत कारणों से अपनी भागीदारी समाप्त कर ली है और उक्त फर्म से अब इन तीनों भागीदारों ने अपना हिसाब-किताब बराबर कर लिया है, इस प्रकार उक्त तीनों भागीदारों का उक्त फर्म से अब कोई लेना-देना शेष नहीं है. उपरोक्त दिनांक से अब उक्त फर्म में केवल अशोक शिवहरे व श्रीमती कमलेश शिवहरे भागीदार हैं जो कि बराबर के भागीदार हैं.

यदि कोई व्यक्ति उक्त फर्म के संबंध में उक्त तीनों व्यक्तियों से कोई संव्यवहार करता है तो उसकी जिम्मेदारी संव्यवहार करने वाले की होगी. इस फर्म का इस संबंध में कोई दायित्व नहीं होगा.

अनूप पटेरिया,
(एडवोकेट),
गोरखी स्कूल के पीछे, पानी की टंकी के पास,
श्री राम पैलेस के आगे, ग्वालियर (म. प्र.).

(196-बी.)

NOTICE

U/S. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that the firm "M/s Kamla Construction Co." of Obedullaganj Vide Reg. No. 330/1992, dated 1992-1993 date of registration 31-07-1992 undergone the following changes :—

1. That Smt. Kamla devi Mittal W/o Shri J. K. Mittal and Smt. Pushplata Mittal W/o M. K. Mittal has joined the partnership firm w.e.f. 01-10-2004.
2. That Shri Gautam Mittal S/o Shri Mahendra Mittal has joined the Partnership firm w.e.f. 01-06-2009.

GAUTAM MITTAL,
Partner,
"M/s Kamla Construction Co."
Main Road, Obedullaganj, Distt. Raisen.

(197-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कु. सोनाली जाधव पुत्री ओमप्रकाश जाधव, निवासी—डी/106, सोनिया गाँधी आवासीय परिसर, गीतांजली कॉम्पलेक्स, भोपाल के पुत्री को मैंने कुमारी प्रभा आसलकर, निवासी—एस-680, नेहरू नगर, भोपाल दत्तक पुत्री (गोदनामा) उप पंजीयक कार्यालय भोपाल दिनांक 21-04-08 को पंजीयन कराकर दत्तक पुत्री के रूप में लिया है.

अत: सोनाली जाधव के स्थान पर कुमारी सोनाली आसलकर पुत्री कुमारी प्रभा आसलकर संरक्षक, कुमारी प्रभा आसलकर के नाम से सभी शासकीय/अर्धशासकीय/शिक्षण/संस्थाओं एवं कार्यालयों में इसी नाम से जानी एवं पहचानी जाये.

कुमारी प्रभा आसलकर,
(सूचनादाता),
एस-680, नेहरू नगर, भोपाल (म. प्र.).

(200-बी.)

विविध

निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 09 जुलाई, 2013

प्रेस आर्टिकल्स

क्र. जी. बी. चार/पी. (1) 2013-14/2385.—मध्यप्रदेश शासन के विभागों के मुद्रण कार्य हेतु उपयोग में आने वाले प्रेस रॉ-मैटीरियल क्रय हेतु सीधे निर्माता या उनके अधिकृत एजेन्ट/डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर्स से मुहरबंद तकनीकी एवं कॉमर्शियल निविदा (पृथक्-पृथक् लिफाफों में) आमंत्रित की जाती हैं.

2. मध्यप्रदेश शासन के वेबसाईट **www.tenders.gov.in.** एवं **www.govtpressmp.nic.in.** पर टेण्डर फॉर्म एवं निविदा के शर्तें एवं अनुबंध का प्रारूप उपलब्ध है.

3. टेण्डर फॉर्म अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक **29 जुलाई, 2013** को कार्यालयीन समय अपराह्न 1.00 बजे तक आवश्यक पूर्तियां की जाकर प्रस्तुत की जानी होंगी. निविदा का **टेक्निकल टेण्डर (Technical Tender)** उसी दिनांक को अर्थात् दिनांक **29 जुलाई, 2013** को अपराह्न 3.00 बजे स्वेच्छा से उपस्थित निविदाकारों/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी.

(355)

Bhopal, dated 9th July, 2013

Printing Articles

No. GB-IV-P. (1) 2013-14/2385.—Sealed Tenders Technical & Commercial (separately) are invited for the supply of Printing Raw-Materials which has to be used for the different Printing works for the department of Madhya Pradesh Govt. from manufacturers, their representative or dealer/distributors.

2. The details of the Tender Document and the draft of the agreement are available at the website **www.tenders.gov.in.** and **www.govtpressmp.nic.in.**

3. In all respects complete tender document must received at the office of undersigned latest by 13.00 hours on **29th July, 2013** and the Envelope 'A' of technical tender will be opened on the same day *i.e.* **29th July, 2013** at 15.00 hours in the Office of the undersigned in the presence of such tenderers or their authorised representatives as may be present.

AJIT KESARI,
Controller,
Govt. Printing and Stationery,
Madhya Pradesh, Bhopal.

(355-A)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं पंजीयक, लोक न्यास, खरगोन

प्र.क्र.02/बी-113(1)/12-13.

फॉर्म-4

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-5 (2) एवं
मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स, 1952 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

समक्ष-पंजीयक, लोक न्यास, खरगोन.

चूंकि प्रार्थी अध्यक्ष ''विश्वकर्मा सौकास समाज, खरगोन नगरीय एवं ग्रामीण उत्थान ट्रस्ट'' खरगोन द्वारा ट्रस्ट के पंजीयन हेतु पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-4 के अंतर्गत निम्न अनुसूची में दर्शित चल-अचल सम्पत्ति हेतु आवेदन-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर इस न्यायालय में विचार किया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा संपति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें तथा उपस्थित रहें. निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

अ.क्र.	नाम वस्तु	विवरण	वजन तथा नग	35,700
01.	नगद			रु. 11,000
02.	अचल सम्पत्ति	-	-	-

(346)

प्र.क्र.05/बी-113(1)/12-13.

फॉर्म-4

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-5 (2) एवं
मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स, 1952 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

समक्ष-पंजीयक, लोक न्यास, खरगोन.

चूंकि प्रार्थी अध्यक्ष ''मुस्लिम मंसुरी जमात, गोगावॉ'' गोगावॉ द्वारा ट्रस्ट के पंजीयन हेतु पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-4 के अंतर्गत निम्न अनुसूची में दर्शित चल-अचल सम्पत्ति हेतु आवेदन-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर इस न्यायालय में विचार किया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा

संपति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें तथा उपस्थित रहें. निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

अ.क्र.	नाम वस्तु	विवरण	वजन तथा नग	35,700
01.	नगद			-
02.	अचल सम्पत्ति	-	-	-

जितेन्द्रसिंह चौहान,
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं पंजीयक.

(346-A)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास नया हरसूद (छनेरा), जिला खण्डवा

रा. प्र. क्र. 01/बी-113-1/2012-13. ग्राम- दगड़खेड़ी, तहसील हरसूद, जिला खण्डवा.

[नियम 5 (1) के अंतर्गत]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) तथा

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 का उपनियम (1)]

1. श्री चंद्रघटा माताजी मंदिर समिति, ग्राम दगड़खेड़ी, तहसील हरसूद, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा.

लोक न्यास के पंजीयक—अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास नया हरसूद, जिला पूर्व-निमाड़ खण्डवा, मध्यप्रदेश.

क्योंकि मुझे प्रतीत होता है कि अनुसूचित में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-2 की उपधारा (4) के अभिप्राय के लिये लोक न्यास है, उसका गठन करती है.

अत: मैं, पंजीयक लोक न्यास नया हरसूद (छनेरा), जिला खण्डवा का लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 26 जून, 2013 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जाँच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अत: एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास का या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना है और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये, उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

लोक न्यास का नाम	..	श्री चंद्रघटा माताजी मंदिर समिति पब्लिक ट्रस्ट लोक न्यास ग्राम दगड़खेड़ी, तहसील हरसूद, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश.
द्वारा	..	श्री सुरेश कुमार, उम्र 52 वर्ष पिता श्री रामप्रसाद जी, पटेल ग्राम दगड़खेड़ी (अध्यक्ष).
लोक न्यास का पता	..	श्री चंद्रघटा माताजी मंदिर समिति (ट्रस्ट) लोक न्यास मुकाम पोस्ट ग्राम दगड़खेड़ी, तहसील हरसूद, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा (मध्यप्रदेश).
लोक न्यास की सम्पत्ति	..	ग्राम दगड़खेड़ी की भूमिस्वामी हक्क की भूमि खसरा नं.-417/3, रकबा 0.200 हैक्टर श्री चंद्रघटा दुर्गा माता मंदिर, पुजारी रविशंकर उपाध्याय जिसमें श्री चंद्रघटा माताजी मंदिर, शिव परिवार मंदिर, श्री नर्मदाजी मंदिर, भैरो नाथ मंदिर, भोजनालय कक्ष, मंगल परिसर, एक नलकूप विद्युत मोटर सहित, एक हेण्डपम्प, भारत गैस डबल टंकी वाला, अहूजा कम्पनी की मशीन चार चोंगे एवं दो माईक, छत पंखा-6 नग, बड़ी दरी 4 नग.

बी. एल. कौल,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(347)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, लोक न्यास, रतलाम

प्र. क्र. 01/बी-113(1)/2012-13.

फॉर्म-4

[नियम (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-5 (2) के तहत]

आवेदक श्री ठाकुर नारायण सिंह पिता ठा. दलपतसिंह राणावत, निवासी—ग्राम धोलका, तहसील व जिला रतलाम द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर श्री नागेश्वर महादेव मंदिर न्यास ग्राम धोलका, तहसील व जिला रतलाम के नाम से न्यास पंजीयन हेतु निवेदन किया गया है, जिसकी सुनवाई दिनांक 22 अप्रैल, 2013 को की जावेगी.

अतएव जिस किसी व्यक्ति/संस्था/ट्रस्ट को इस संबंध में रूचि/आपत्ति हो तो प्रकरण में नियत दिनांक 22 जुलाई, 2013 को इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य दो प्रतियों में स्वयं या अपने अधिवक्ता/एजेंट के द्वारा प्रातः 11.00 बजे नियत दिनांक को उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित समय समाप्त होने पर आवेदन-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

(लोक न्यास का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

1. न्यास का पूरा नाम	:	श्री नागेश्वर महादेव मंदिर न्यास ग्राम धोलका, तहसील व जिला रतलाम.
2. अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
3. चल सम्पत्ति	:	नकद राशि रुपये 6,000/-(रुपये छः हजार)

दिनेशचन्द्र सिंघी,
अनुविभागयीय अधिकारी.

(348)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, लोक न्यास, मल्हारगढ़, जिला मन्दसौर

दिनांक 17 जून, 2013

प्र. क्र. 01/बी-113 (1)/2012-13.

प्रारूप-चार

[नियम-5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-5 (1) देखिये]

चूंकि श्री मिश्रीलाल पिता मन्नालाल कुमठ आदि-7, निवासी पिपल्यामण्डी ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लोक न्यास के पंजीयन हेतु आवेदन पेश किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पर मेरे न्यायालय में दिनांक 16 जुलाई, 2013 को दिन में सुबह 11.00 बजे विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त न्यास की सम्पत्ति में हित रखते हों और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों तो लिखित में दो-दो प्रतियां इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के एक माह के अंदर प्रस्तुत करें. अन्यथा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष में स्वयं या अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं. उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

लोक न्यास का नाम व पता	:	श्री विमलनाथ जैन श्वेताम्बर मूर्ति पूजक संघ, पिपल्यामण्डी.
चल-अचल सम्पत्ति	:	(1) पिपल्यामण्डी वार्ड क्र.-15 में स्थित मांगलिक भवन.

(349)

दिनांक 17 जून, 2013

प्र. क्र. 02/बी-113 (1)/2012-13.

प्रारूप-चार

[नियम-5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-5 (1) देखिये]

चूंकि श्री अध्यक्ष श्री जिनकुशल गुरू दादावाड़ी ट्रस्ट, बही ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लोक न्यास के पंजीयन हेतु आवेदन पेश किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पर मेरे न्यायालय में दिनांक 16 जुलाई, 2013 को दिन में सुबह 11.00 बजे विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त न्यास की सम्पत्ति में हित रखते हों और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों तो लिखित में दो-दो प्रतियां इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के एक माह के अंदर प्रस्तुत करें. अन्यथा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष में स्वयं या अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं. उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

लोक न्यास का नाम व पता	:	श्री अध्यक्ष श्री जिनकुशल गुरू दादावाड़ी ट्रस्ट, बही
चल-अचल सम्पत्ति	:	ग्राम बही आबादी क्षेत्र में 3526 फीट 6 इंच का भू-खण्ड, 30 फीट बाय 15, 7.62 मीटर बाय 5.49 मीटर कुल क्षेत्रफल 41.83 वर्गमीटर, 164.58 मीटर, 5.18 मीटर बाय 4.57 मीटर कुल क्षेत्रफल 23.67 वर्गमीटर.

आर. पी. वर्मा,
अनुविभागीय अधिकारी.

(349-A)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, विदिशा

विदिशा, दिनांक 04 मई, 2013

प्र.क्र. 06/बी-113/2011-12.

प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और
मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

श्री केदारनाथ कटारे, प्रबंधक एवं अन्य संस्थापक न्यासीगण द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 30 जुलाई, 2013 को विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उस बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो, तो उसे इस सूचना को लोक न्यास को दे, जिसका कि वह गठन करती है.

अत: मैं, पंजीयक, लोक न्यास, अनुविभागीय अधिकारी, विदिशा लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 28 मई, 2013 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यह अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा संपत्ति का वर्णन)

1. लोक न्यास का नाम और पता	. .	श्री खुशीलाल तिवारी स्मृति परमार्थ सार्वजनिक न्यास, दण्डोतिया सदन, माधवगंज खरीफाटक रोड, विदिशा.
2. चल सम्पत्ति	. .	राशि रु. 10,000/- नकद ओरियण्टल बैंक खाता नं. 10236 में जमा.
3. अचल सम्पत्ति	. .	वर्तमान में नगर में कोई अचल सम्पत्ति ट्रस्ट की नहीं है.

अविनाश तिवारी,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(351)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, राजधानी परियोजना, टी. टी. नगर वृत्त, भोपाल

प्ररूप-4

[नियम-5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

जैसा कि ''द पिरामिड स्पिरिचुअल ट्रस्ट'' द्वारा डॉ. श्री श्रेयांस कुमार जैन, निवासी—ई-3/161, अरेरा कॉलोनी, भोपाल ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-2 के तहत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने हेतु निवेदन किया गया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि, उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे न्यायालय में दिनांक 30 जुलाई, 2013 को विचार किया जाएगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट या सम्पत्ति में हित रखते हों और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों, वे इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के अन्दर अपनी आपत्ति अथवा सुझाव दो प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अथवा यथास्थिति विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. उपरोक्त अवधि के व्यतीत होने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

1.	ट्रस्ट का नाम	. .	''द पिरामिड स्पिरिचुअल ट्रस्ट''.
2.	अचल सम्पत्ति	. .	कुछ नहीं.
3.	चल सम्पत्ति	. .	10,000/-.

सुनील दुबे,
रजिस्ट्रार.

(353)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं संयुक्त कलेक्टर, जिला उज्जैन

स्मरण-पत्र

प्र. क्र. /बी-113/2012-13.

प्रारूप-चार

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उप-धारा (2)
मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

पंजीयक,
लोक न्यास, उज्जैन,
जिला उज्जैन के समक्ष.

चूँकि प्रतिनिधि श्री महंत अवधेशदास, निवासी—अवधेशधाम आश्रम, मैत्री निकुंज कॉलोनी, पंवासा, मक्सी रोड, उज्जैन आदि ने अंतराष्ट्रीय मानव सेवाश्रम लोक न्यास, उज्जैन को मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 27 मई, 2013 को प्रातः 11.00 बजे स्थान कोठी पैलेस, उजैन का विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं संयुक्त कलेक्टर, उज्जैन जिला उज्जैन, का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 27 मई, 2013 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी, न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का वर्णन)

न्यास का नाम	. .	अंतराष्ट्रीय मानव सेवाश्रम लोक न्यास, उज्जैन.
कार्यालय	. .	अवधेशधाम आश्रम, मैत्री निकुंज कॉलोनी, पंवासा, मक्सी रोड, उज्जैन.
अचल सम्पत्ति	. .	निरंक.
चल सम्पत्ति	. .	निरंक.

आर. एस. मीना,
(350) पंजीयक एवं संयुक्त कलेक्टर.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, राज. परि., एम. पी. नगर वृत्त, भोपाल

प्र. क्र. 9/बी-113/2012-13.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

समक्ष : रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, नजूल वृत्त, एम. पी. नगर, भोपाल-भोपाल.

जैसाकि आवेदक डॉ. सुशील जिंदल आ. श्री जे. एन. जिंदल, पता—जिंदल डायबिटीज एण्ड हार्मोन सेन्टर 16, जोन-1, एम. पी. नगर, भोपाल द्वारा ''जिंदल हेल्थ एण्ड हेल्प फाउण्डेशन ट्रस्ट'' ट्रस्ट मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र सूची में दर्शाए सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 24 जून, 2013 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में दो प्रतियों में सूचना के प्रकाशन के ''एक माह'' के भीतर प्रस्तुत करे अथवा उक्त दिनांक को स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम व पता	. .	''जिंदल हेल्थ एण्ड हेल्प फाउण्डेशन ट्रस्ट, जिंदल डायबिटीज एण्ड हार्मोन सेन्टर 16, जोन-1, एम. पी. नगर, भोपाल''.
2. चल सम्पत्ति	. .	निरंक.
3. अचल सम्पत्ति	. .	निरंक.

रितु चौहान,
(354) अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

युवा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./जी. डब्ल्यू. आर./322, दिनांक 31 सितम्बर, 2011 है. प्राधिकृत अधिकारी श्री. . . . . , सहकारी निरीक्षक/वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक. . . . . के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितायें संज्ञान में आईं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड भी चार्ज में प्रभारी अधिकारी को नहीं दिया गया है.
3. संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन हेतु नियत समय में एक भी नियोजन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया.

4. संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.

5. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है.

6. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त अनियमितताओं का उल्लेख कर कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2092, दिनांक 04 अक्टूबर, 2012 के माध्यम से सूचना भेजी गई थी. जिसका सूचना-पत्र का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक. . . . . में भी कराया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधीन परिसमापन में लाया जावे? किन्तु दी गई समयावधि में संस्था ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत दिनांक 03 नवम्बर, 2012 को भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित हुआ. इससे स्पष्ट है कि संस्था को उक्त समस्त आरोप स्वीकार हैं.

अत: मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए युवा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश देता हूँ तथा संस्था की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री संजय अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(352)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

बाला गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./जी. डब्ल्यू. आर./332, दिनांक 27 जनवरी, 2003 है. प्राधिकृत अधिकारी श्री. . . . . , सहकारी निरीक्षक/वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक. . . . . के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आईं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.

2. संस्था का रिकॉर्ड भी चार्ज में प्रभारी अधिकारी को नहीं दिया गया है.

3. संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन हेतु नियत समय में एक भी नियोजन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया.

4. संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.

5. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है.

6. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त अनियमितताओं का उल्लेख कर कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2093, दिनांक 04 अक्टूबर, 2012 के माध्यम से सूचना भेजी गई थी. जिसका सूचना-पत्र का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक. . . . . में भी कराया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधीन परिसमापन में लाया जावे? किन्तु दी गई समयावधि में संस्था ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत दिनांक 03 नवम्बर, 2012 को भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित हुआ. इससे स्पष्ट है कि संस्था को उक्त समस्त आरोप स्वीकार हैं.

अत: मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बाला गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश देता हूँ तथा संस्था की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री ओ. पी. पाठक, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(352-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

ए. पी. एस. गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./जी. डब्ल्यू. आर./295, दिनांक 15 जनवरी, 2001 है. प्राधिकृत अधिकारी श्री. . . . . , सहकारी निरीक्षक/वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक. . . . . के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड भी चार्ज में प्रभारी अधिकारी को नहीं दिया गया है.
3. संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन हेतु नियत समय में एक भी नियोजन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया.
4. संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
5. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है.
6. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त अनियमितताओं का उल्लेख कर कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2086, दिनांक 04 अक्टूबर, 2012 के माध्यम से सूचना भेजी गई थी. जिसका सूचना-पत्र का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक. . . . . में भी कराया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधीन परिसमापन में लाया जावे? किन्तु दी गई समयावधि में संस्था ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत दिनांक 03 नवम्बर, 2012 को भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित हुआ. इससे स्पष्ट है कि संस्था को उक्त समस्त आरोप स्वीकार हैं.

अत: मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ए. पी. एस. गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश देता हूँ तथा संस्था की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री अजय दुबे, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(352-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

हरिओम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./जी. डब्ल्यू. आर./358, दिनांक 27 सितम्बर, 2003 है. प्राधिकृत अधिकारी श्री. . . . . , सहकारी निरीक्षक/वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक. . . . . के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आई.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड भी चार्ज में प्रभारी अधिकारी को नहीं दिया गया है.
3. संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन हेतु नियत समय में एक भी नियोजन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया.
4. संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
5. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है.
6. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त अनियमितताओं का उल्लेख कर कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2088, दिनांक 04 अक्टूबर, 2012 के माध्यम से सूचना भेजी गई थी. जिसका सूचना-पत्र का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक. . . . . में भी कराया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधीन परिसमापन में लाया जावे? किन्तु दी गई समयावधि में संस्था ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत दिनांक 03 नवम्बर, 2012 को भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित हुआ. इससे स्पष्ट है कि संस्था को उक्त समस्त आरोप स्वीकार हैं.

अतः मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरिओम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश देता हूँ तथा संस्था की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री राजीव कपोलिया, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(352-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

रक्षा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./जी. डब्ल्यू. आर./135, दिनांक 23 जून, 1987 है. प्राधिकृत अधिकारी श्री. . . . . , सहकारी निरीक्षक/वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक. . . . . के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आईं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड भी चार्ज में प्रभारी अधिकारी को नहीं दिया गया है.
3. संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन हेतु नियत समय में एक भी नियोजन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया.
4. संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
5. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है.
6. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त अनियमितताओं का उल्लेख कर कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2089, दिनांक 04 अक्टूबर, 2012 के माध्यम से सूचना भेजी गई थी. जिसका सूचना-पत्र का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक. . . . . में भी कराया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधीन परिसमापन में लाया जावे? किन्तु दी गई समयावधि में संस्था ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत दिनांक 03 नवम्बर, 2012 को भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित हुआ. इससे स्पष्ट है कि संस्था को उक्त समस्त आरोप स्वीकार हैं.

अतः मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश देता हूँ तथा संस्था की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री मनोज शर्मा, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(352-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

सांई गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, डबरा, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./जी. डब्ल्यू. आर./352, दिनांक 29 अगस्त, 2003 है. प्राधिकृत अधिकारी श्री. . . . . , सहकारी निरीक्षक/वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक. . . . . के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आईं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड भी चार्ज में प्रभारी अधिकारी को नहीं दिया गया है.
3. संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन हेतु नियत समय में एक भी नियोजन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया.

4. संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.

5. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है.

6. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त अनियमितताओं का उल्लेख कर कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2090, दिनांक 04 अक्टूबर, 2012 के माध्यम से सूचना भेजी गई थी. जिसका सूचना-पत्र का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक. . . . . में भी कराया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधीन परिसमापन में लाया जावे? किन्तु दी गई समयावधि में संस्था ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत दिनांक 03 नवम्बर, 2012 को भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित हुआ. इससे स्पष्ट है कि संस्था को उक्त समस्त आरोप स्वीकार हैं.

अतः मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सांई गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश देता हूँ तथा संस्था की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री मनोज श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(352-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

चितरंजन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./जी. डब्ल्यू. आर./403, दिनांक 28 जनवरी, 2008 है. प्राधिकृत अधिकारी श्री. . . . . , सहकारी निरीक्षक/वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक. . . . . के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमिततायें संज्ञान में आईं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.

2. संस्था का रिकॉर्ड भी चार्ज में प्रभारी अधिकारी को नहीं दिया गया है.

3. संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन हेतु नियत समय में एक भी नियोजन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया.

4. संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.

5. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है.

6. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त अनियमितताओं का उल्लेख कर कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2091, दिनांक 04 अक्टूबर, 2012 के माध्यम से सूचना भेजी गई थी. जिसका सूचना-पत्र का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक. . . . . में भी कराया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधीन परिसमापन में लाया जावे? किन्तु दी गई समयावधि में संस्था ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत दिनांक 03 नवम्बर, 2012 को भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित हुआ. इससे स्पष्ट है कि संस्था को उक्त समस्त आरोप स्वीकार हैं.

अतः मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चितरंजन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश देता हूँ तथा संस्था की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री अजय आहूजा, सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

आर. के. वाजपेई,
उप-पंजीयक.

(352-F)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

श्री प्रेमराज ढोके,
प्रभारी अधिकारी,

ऋतु गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल.

ऋतु गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./680, दिनांक 28 दिसम्बर, 1991 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा वर्ष ..... की अंकेक्षण टीप में उल्लेखित निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड अंकेक्षण हेतु नहीं मिलने से वित्तीय पत्रक दोहराये जा रहे हैं.
3. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सदस्यों के हित में भूमि क्रय नहीं की गई है.
4. संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.
5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं.

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/15-1-99, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 7 जून, 2013 तक कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें.

नियत सुनवाई दिनांक को प्रकरण के संबंध में अनुपस्थिति/उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको प्रकरण के संबंध में कुछ नहीं कहना है और न ही पक्ष समर्थन हेतु साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करना है, अंतिम आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(340-A)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

श्री मनीषा चोरे, S. A.
प्रभारी अधिकारी,

चाहत गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल.

चाहत गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./659, दिनांक 04 अगस्त, 1995 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा वर्ष ..... की अंकेक्षण टीप में उल्लेखित निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड अंकेक्षण हेतु नहीं मिलने से वित्तीय पत्रक दोहराये जा रहे हैं.

3. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सदस्यों के हित में भूमि क्रय नहीं की गई है.

4. संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.

5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं.

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/15-1-99, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 7 जून, 2013 तक कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें.

नियत सुनवाई दिनांक को प्रकरण के संबंध में अनुपस्थिति/उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको प्रकरण के संबंध में कुछ नहीं कहना है और न ही पक्ष समर्थन हेतु साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करना है, अंतिम आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(340-B)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

श्रीमति संगीता मीना,
अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

माँ आसमानी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल.

माँ आसमानी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./636, दिनांक 25 अप्रैल, 1995 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा वर्ष ..... की अंकेक्षण टीप में उल्लेखित निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है.

2. संस्था का रिकॉर्ड अंकेक्षण हेतु नहीं मिलने से वित्तीय पत्रक दोहराये जा रहे हैं.

3. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सदस्यों के हित में भूमि क्रय नहीं की गई है.

4. संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.

5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं.

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/15-1-99, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 7 जून, 2013 तक कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें.

नियत सुनवाई दिनांक को प्रकरण के संबंध में अनुपस्थिति/उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको प्रकरण के संबंध में कुछ नहीं कहना है और न ही पक्ष समर्थन हेतु साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करना है, अंतिम आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(340-C)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

श्री डी. के. गुप्ता, S. A.
प्रभारी अधिकारी,

कपड़ा मिल श्रमिक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल.

कपड़ा मिल श्रमिक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1131, दिनांक 16 जनवरी, 2009 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा वर्ष ..... की अंकेक्षण टीप में उल्लेखित निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड अंकेक्षण हेतु नहीं मिलने से वित्तीय पत्रक दोहराये जा रहे हैं.
3. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सदस्यों के हित में भूमि क्रय नहीं की गई है.
4. संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.
5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं.

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/15-1-99, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 7 जून, 2013 तक कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें.

नियत सुनवाई दिनांक को प्रकरण के संबंध में अनुपस्थिति/उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको प्रकरण के संबंध में कुछ नहीं कहना है और न ही पक्ष समर्थन हेतु साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करना है, अंतिम आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(340-D)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

श्री विनोद जैन,
प्रभारी अधिकारी,
वनवासी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल.

वनवासी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./530, दिनांक 04 मार्च, 1987 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा वर्ष ..... की अंकेक्षण टीप में उल्लेखित निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड अंकेक्षण हेतु नहीं मिलने से वित्तीय पत्रक दोहराये जा रहे हैं.
3. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सदस्यों के हित में भूमि क्रय नहीं की गई है.

4. संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.

5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं.

अत: मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/15-1-99, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 7 जून, 2013 तक कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें.

नियत सुनवाई दिनांक को प्रकरण के संबंध में अनुपस्थिति/उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको प्रकरण के संबंध में कुछ नहीं कहना है और न ही पक्ष समर्थन हेतु साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करना है, अंतिम आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(340-E)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

भारतीय श्रमजीवी पत्रकार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल.

भारतीय श्रमजीवी पत्रकार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./760, दिनांक 28 अक्टूबर, 1997 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा वर्ष ..... की अंकेक्षण टीप में उल्लेखित निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है.

2. संस्था का रिकॉर्ड अंकेक्षण हेतु नहीं मिलने से वित्तीय पत्रक दोहराये जा रहे हैं.

3. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सदस्यों के हित में भूमि क्रय नहीं की गई है.

4. संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.

5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं.

अत: मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/15-1-99, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 7 जून, 2013 तक कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें.

नियत सुनवाई दिनांक को प्रकरण के संबंध में अनुपस्थिति/उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको प्रकरण के संबंध में कुछ नहीं कहना है और न ही पक्ष समर्थन हेतु साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करना है, अंतिम आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(340-F)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

श्री प्रकाश साकल्ले,
अध्यक्ष,

सतपुड़ा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल.

F-83/46, तुलसी नगर, भोपाल.

सतपुड़ा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./357, दिनांक 06 जुलाई, 1983 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा वर्ष ..... की अंकेक्षण टीप में उल्लेखित निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड अंकेक्षण हेतु नहीं मिलने से वित्तीय पत्रक दोहराये जा रहे हैं.
3. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सदस्यों के हित में भूमि क्रय नहीं की गई है.
4. संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.
5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं.

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/15-1-99, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 7 जून, 2013 तक कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें.

नियत सुनवाई दिनांक को प्रकरण के संबंध में अनुपस्थिति/उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको प्रकरण के संबंध में कुछ नहीं कहना है और न ही पक्ष समर्थन हेतु साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करना है, अंतिम आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(340-G)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,
वर्धमान गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल.
डाकघर के पास, बैरागढ़.

वर्धमान गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./170, दिनांक 31 मार्च, 1980 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा वर्ष ..... की अंकेक्षण टीप में उल्लेखित निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड अंकेक्षण हेतु नहीं मिलने से वित्तीय पत्रक दोहराये जा रहे हैं.
3. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सदस्यों के हित में भूमि क्रय नहीं की गई है.

4. संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.

5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं.

अत: मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/15-1-99, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 7 जून, 2013 तक कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें.

नियत सुनवाई दिनांक को प्रकरण के संबंध में अनुपस्थिति/उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको प्रकरण के संबंध में कुछ नहीं कहना है और न ही पक्ष समर्थन हेतु साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करना है, अंतिम आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(340-H)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

श्री अनिल राठोर,
प्रभारी अधिकारी,

न्यू केपिटल प्रोजेक्ट गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल.

न्यू केपिटल प्रोजेक्ट गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./218, दिनांक 26 जून, 1981 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा वर्ष ..... की अंकेक्षण टीप में उल्लेखित निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है.

2. संस्था का रिकॉर्ड अंकेक्षण हेतु नहीं मिलने से वित्तीय पत्रक दोहराये जा रहे हैं.

3. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सदस्यों के हित में भूमि क्रय नहीं की गई है.

4. संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.

5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं.

अत: मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/15-1-99, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 7 जून, 2013 तक कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें.

नियत सुनवाई दिनांक को प्रकरण के संबंध में अनुपस्थिति/उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको प्रकरण के संबंध में कुछ नहीं कहना है और न ही पक्ष समर्थन हेतु साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करना है, अंतिम आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(340-I)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,

जयश्री महावीर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल.

G-35, जे. के. रोड, भोपाल.

जयश्री महावीर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./939, दिनांक 10 जुलाई, 2003 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा वर्ष ..... की अंकेक्षण टीप में उल्लेखित निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड अंकेक्षण हेतु नहीं मिलने से वित्तीय पत्रक दोहराये जा रहे हैं.
3. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सदस्यों के हित में भूमि क्रय नहीं की गई है.
4. संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.
5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं.

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/15-1-99, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 7 जून, 2013 तक कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें.

नियत सुनवाई दिनांक को प्रकरण के संबंध में अनुपस्थिति/उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको प्रकरण के संबंध में कुछ नहीं कहना है और न ही पक्ष समर्थन हेतु साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करना है, अंतिम आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(340-J)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

श्री विनय मरकाम,
प्रभारी अधिकारी,

न्यू भोपाल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल.

न्यू भोपाल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./510, दिनांक 21 जनवरी, 1987 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा वर्ष ..... की अंकेक्षण टीप में उल्लेखित निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड अंकेक्षण हेतु नहीं मिलने से वित्तीय पत्रक दोहराये जा रहे हैं.
3. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सदस्यों के हित में भूमि क्रय नहीं की गई है.

4. संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.

5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं.

अत: मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/15-1-99, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 7 जून, 2013 तक कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें.

नियत सुनवाई दिनांक को प्रकरण के संबंध में अनुपस्थिति/उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको प्रकरण के संबंध में कुछ नहीं कहना है और न ही पक्ष समर्थन हेतु साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करना है, अंतिम आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(340-K)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

श्री विनोद जैन, S. A.
प्रभारी अधिकारी,
वद्री नारायण गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल.

वद्री नारायण गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./1130, दिनांक 30 दिसम्बर, 2008 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा वर्ष ..... की अंकेक्षण टीप में उल्लेखित निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है.

2. संस्था का रिकॉर्ड अंकेक्षण हेतु नहीं मिलने से वित्तीय पत्रक दोहराये जा रहे हैं.

3. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सदस्यों के हित में भूमि क्रय नहीं की गई है.

4. संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.

5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं.

अत: मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/15-1-99, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 7 जून, 2013 तक कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें.

नियत सुनवाई दिनांक को प्रकरण के संबंध में अनुपस्थिति/उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको प्रकरण के संबंध में कुछ नहीं कहना है और न ही पक्ष समर्थन हेतु साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करना है, अंतिम आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

आर. एस. विश्वकर्मा,
उप-पंजीयक.

(340-L)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2013.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 जुलाई 2013-आषाढ़ 21, शके 1935

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 27 मार्च, 2013

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के कुछ ही जिलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित रहा है.

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील मुंगावली, अशोकनगर (अशोकनगर), राहतगढ़, केसली (सागर), बांधवगढ़, हजूर (रीवा), (उमरिया), कुसमी (सीधी), कुरवाई, नटेरन, विदिशा, ग्यारसपुर (विदिशा), घोड़ाडोंगरी, बैतूल, आमला (बैतूल), जबलपुर (जबलपुर), घुघरी, नारायणगंज (मण्डला) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील मझौली (सीधी), मुलताई (बैतूल), मण्डला (मण्डला), डिण्डोरी (डिण्डोरी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला श्योपुर में जुताई व बैतूल में गन्ना की रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला श्योपुर, पन्ना, खरगौन में बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**—जिला नीमच में फसलों पर ओला का प्रभाव हुआ है. ईसब गोल फसल का नुकसान व रायसेन में पाला तुषार से 15 से 20% एवं ओलावृष्टि से 20 से 30% फसलों को क्षति हुई है व हरदा हवा ओले एवं वर्षा से फसलों को 10 से 20% की कहीं-कहीं क्षति होना प्रतिवेदित किया गया है.

5. **कटाई.**—जिला नीमच, झाबुआ में फसल गेहूँ व इन्दौर, भोपाल, होशंगाबाद में गेहूँ, चना व डिण्डोरी में रबी फसल मसूर, मटर, गेहूँ, अलसी व बैतूल में गेहूँ, चना, मसूर, मटर, अलसी, टीकमगढ़, अनूपपुर, सिंगरौली, हरदा, कटनी, मण्डला एवं डिण्डोरी में रबी फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, गुना, छतरपुर, सागर, उमरिया, राजगढ़, भोपाल में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 27 मार्च, 2013

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) गेहूँ, चना, बाजरा, मक्का, तिल समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) . .		
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, अलसी, तुअर, मटर, मसूर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		(2) . .		
3. विजयपुर	. .				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अटेर	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन					
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. ग्वालियर	. .		4. (1) गन्ना, उड़द अधिक. मूंगफली, तिली, मूँगमोठ, तुअर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. भितरवार	. .				
4. घाटीगांव	. .				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		(2) . .		
3. भाण्डेर	. .				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) गन्ना, मूँगफली अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर:	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुंगावली	4.0		4. (1) चना, गेहूँ, उड़द, गन्ना समान.	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. ईसागढ़	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	10.0				
4. चन्देरी	. .				
5. शाढौरा	. .				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. गुना	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. राघोगढ़	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
7. मकसूदनगढ़	. .				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. निवाड़ी	. .		4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. पृथ्वीपुर	. .		अलसी, चना, मटर, मसूर, जौ,	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	. .		आलू समान.		
4. टीकमगढ़	. .		(2) . .		
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. लौण्डी	. .		4. (1) जवा अधिक. गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. गौरीहार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	. .		4. (1) तुअर, उड़द, मूँग, तिल, गेहूँ, चना,	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. पन्ना	. .		जौ, राई-सरसों, अलसी कम.	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	. .		मसूर, मटर, आलू, प्याज अधिक.		
4. पवई	. .		(2) . .		
5. शाहनगर	. .				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		तिवड़ा, अलसी, मटर, आलू,	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	. .		प्याज समान.		
4. सागर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	2.0				
9. केसली	1.5				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) गेहूँ, मटर, मसूर, चना, अलसी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		राई-सरसों समान.	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	. .		(2) . .		
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
***जिला सतना :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. मझगवां	. .		(2) . .		
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	. .		4. (1) अरहर कम. गेहूँ, चना, अलसी, जौ,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .		मसूर, राई-सरसों समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. हनुमना	. .				
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7.रायपुरकर्चुलियान	. .				
***जिला शहडोल :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सोहागपुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ब्यौहारी	. .		(2) . .		
3. जैसिंहनगर	. .				
4. जैतपुर	. .				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) राई-सरसों, गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .		राहर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	. .		(2) . .		
4. पुष्पराजगढ़	. .				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. बांधवगढ़	2.8		4. (1) अरहर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		अलसी, राई-सरसों अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. गोपदवनास	. .		4. (1) अलसी, राई-सरसों, चना, गेहूँ, जौ, मसूर, मटर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मझौली	20.0				
4. कुसमी	7.0				
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	. .				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. फसल कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. चितरंगी	. .		4. (1) तुअर,मसूर, मटर, लाख समान. गेहूँ, चना अधिक. अलसी, सरसों कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) . .		
3. सिंगरौली	. .				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	. .		4. (1) गेहूँ, रायडा अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .		
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मन्दसौर	. .				
6. सीतामऊ	. .				
7. धुन्धड़का	. .				
8. शामगढ़	. .				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है. फसलों पर ओला का प्रभाव हुआ है. ईसव गोल फसल को नुकसान हुआ.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर,मटर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मनासा	. .				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. शीत लहर एवं ओला गिरने से गेहूँ, चना देशी/डालर अंगूर, स्ट्रावेरी की फसल में हानि हुई.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4. (1) कपास कम. गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) . .		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
***जिला उज्जैन :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. खाचरौद	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. महिदपुर	. .		(2) . .		
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	. .		4. (1) गेहूँ , चना, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) . .		
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
5. बड़ौद	. .				
6. शाजापुर	. .				
7. शुजालपुर	. .				
8. कालापीपल	. .				
9. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, अलसी मसूर, जौ अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	. .		4. (1) गेहूँ, टमाटर, मिर्च अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	. .		4. (1) चना, गेहूँ अधिक.	6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. भामरा	. .				
4. कट्टीबाड़ा	. .				
5. सोण्डवा	. .				
6. उदयगढ़	. .				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	. .		4. (1) चना अधिक. गेहूँ, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .		
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, राई-सरसों, मटर, मसूर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सनावद	. .		(2) . .		
3. महेश्वर	. .				
4. सेगांव	. .				
5. करही	. .				
6. खरगोन	. .				
7. गोगावां	. .				
8. कसरावद	. .				
9. मुल्ठान	. .				
10. भगवानपुरा	. .				
11. भीकनगांव	. .				
12. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला बड़वानी:**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़वानी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ठीकरी	. .		(2) . .		
3. राजपुर	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
जिला पूर्व-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) कपास, गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. गन्ना, ज्वार, चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	. .		तिल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. नरसिंहगढ़	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. . .
1. लटेरी	. .		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	3.0				
4. बासौदा	. .				
5. नटेरन	11.0				
6. विदिशा	15.0				
7. ग्यारसपुर	1.0				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. चना, गेहूँ की कटाई का	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .	कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
***जिला सीहोर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सीहोर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. आष्टा	. .		(2) . .		
3. इछावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. पाला तुषार से 15 से 20% एवं ओलावृष्टि से 20 से 30% फसलों को क्षति हुई.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, लाख, सरसों, अलसी, गन्ना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		(2) . .		
3. बेगमगंज	. .				
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. उदयपुरा	. .				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. गन्ना की रोपाई व रबी फसल गेहूँ, चना, मसूर, मटर, अलसी की कटाई कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मटर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	10.3		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
3. शाहपुर	. .				
4. बैतूल	0.6				
5. मुलताई	18.2				
6. आमला	16.0				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) गेहूँ, मूँगमोठ अधिक. चना, मटर, मसूर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बाबई	. .				
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. वनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई एवं ओले, हवा, पानी से फसलों को 10 से 20% की क्षति.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) . .		
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोरा	. .		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जबलपुर	0.8				
4. कुण्डम	. .				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .		4. (1) चना, गेहूँ, मसूर, अलसी, राई-सरसों, जौ, मटर.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .		(2) . .		
3. विजयराघवगढ़	. .				
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला नरसिंहपुर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गाडरवारा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. करेली	. .		(2) . .		
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई, अलसी, जौ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. नैनपुर	36.2				
4. मण्डला	28.4				
5. घुघरी	10.5				
6. नारायणगंज	4.0				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. रबी की फसल मसूर, मटर, गेहूँ, अलसी की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. डिण्डोरी	22.0		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, मटर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .		(2) . .		
3. परासिया	. .				
4. जामई (तामिया)	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. बिछुआ	. .				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सिवनी	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, राई-सरसों अधिक. मसूर, लाख, तिवड़ा, अलसी कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. लखनादौन	. .				
4. बरघाट	. .				
5. कुरई	. .				
6. घंसौर	. .				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) गेहूँ, चना, उड़द, अलसी, राई-सरसों, मटर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बैहर	. .				
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला सतना, शहडोल, उज्जैन, बड़वानी, सीहोर, नरसिंहपुर से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(345)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2013.